भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1383

दिनांक 03.05.2016/13 वैशाख, 1938 (शक) को उत्तर के लिए

भारतीय दंड संहिता की धारा 498क का दुरुपयोग

†1383. श्री अनुराग सिंह ठाकुरः

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पुलिस दुरुपयोग, न्यायिक प्रक्रिया में विलम्ब तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 498क के दुरुपयोग से संबंधित मुद्दों के कार्यान्वयन का संज्ञान लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार विधि आयोग तथा आपराधिक न्याय प्रणाली सुधारों संबंधी न्यायमूर्ति मलिमथ समिति के सुझावों के आधार पर धारा 498क को संशोधित करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त संशोधनों के कब तक प्रभावी होने की संभावना है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिभाई परथीभाई चौधरी)

(क) से (ग): भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के प्रेक्षणों/निर्देशों के आधार पर, भारतीय दंड संहिता की धारा 498क के दुरुपयोग को रोकने के लिए किए जाने वाले उपायों के संबंध में सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को परामर्शी-पत्र जारी किए गए हैं। भारतीय विधि आयोग और मालीमथ समिति की सिफारिशों के अनुसार, न्यायालयों की अनुमति से, भारतीय दंड संहिता की धारा 498क को एक प्रशमनीय अपराध बनाने के संबंध में एक प्रस्ताव है। विधायी प्रक्रिया होने के नाते, इस प्रकार की कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।